

(राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित रूप में)

2023 का विधेयक संख्यांक 53-सी

[दि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन आफ पीरियोडिकल्स बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

# प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023

प्रेस, नियतकालिक पत्रिकाओं और उससे  
संबंधित या उसके आनुषंगिक  
विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रेस और नियतकालिक पत्रिका  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना  
द्वारा नियत करे ।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारंभ ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी प्रकाशन के "प्रतिकृति संस्करण" से विदेशी प्रकाशन के मूल संस्करण का अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भारतीय भाषा में सटीक पुनर्प्रकाशन अभिप्रेत है ;

(ख) "पत्र" से किसी पत्रिका से भिन्न आवधिक प्रकाशन अभिप्रेत है, जिसमें मुख्यतया किसी विशिष्ट विषय या वृत्ति से संबंधित शैक्षिक, वैज्ञानिक या तकनीकी अंतर्वस्तु होती हैं ;

(ग) "कीपर" से किसी मुद्रण प्रेस, जिसका स्वामी कोई गैर-व्यष्टि अस्तित्व है, की दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंध करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "समाचार पत्र" से नियतकालिक पत्रिका के खुली तह किए हुए पन्ने अभिप्रेत हैं, जिनको प्रायः अखबारी कागज पर दैनिक या कम से कम सप्ताह में एक बार मुद्रित किया जाता है, जिनमें वर्तमान घटनाक्रम, लोक समाचार या लोक समाचारों पर टिप्पणियां अंतर्विष्ट होती हैं ;

(ङ) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का उसके व्याकरणिय रूप भेदों के अनुसार और सजातीय पदों का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(च) "स्वामी" से कोई व्यष्टि, फर्म या किसी नियतकालिक पत्रिका को स्वामित्वाधीन करने वाला कोई ऐसा विधिक अस्तित्व अभिप्रेत है ;

(छ) "नियतकालिक पत्रिका" से कोई प्रकाशन अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र हैं, जिसका प्रकाशन और मुद्रण नियमित अंतरालों पर किया जाता है, जिसमें लोक समाचार या लोक समाचारों पर टिप्पणियां अंतर्विष्ट होती हैं, किंतु इसके अंतर्गत कोई पुस्तक या पत्र, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक प्रकृति की पुस्तक या पत्र भी सम्मिलित हैं, नहीं आती हैं ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रेस महारजिस्ट्रार" से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त भारत का प्रेस महारजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(ञ) "मुद्रक" से किसी मुद्रण प्रेस का स्वामी या कीपर अभिप्रेत है ;

(ट) "मुद्रण" से किसी प्रौद्योगिकी, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रतियों का उत्पादन अंतर्वलित है, के माध्यम से किसी नियतकालिक पत्रिका का पुनः उत्पादन अभिप्रेत है, किंतु उसके अंतर्गत फोटोकापी करना सम्मिलित नहीं है ;

(ठ) "प्रकाशन" से आवधिक रूप से नुद्रित और भारत में प्रकाशित समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र या संवाद-पत्र अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत लोक वितरण या पहुंच के लिए इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उसका पुनरुद्धारण या कोई प्रकाशन संघ, प्रतिकृति संस्करण सम्मिलित है ;

(ड) "प्रकाशित" से किसी कार्य की प्रतियों को जारी करके या जारी करना कारित करके या किसी अन्य रीति में, चाहे किसी मूल्य पर या बिना किसी प्रभार

के, लोगों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अभिप्रेत है और शब्द, "प्रकाशन" का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(ढ) "प्रकाशक" से किसी नियतकालिक पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अभिप्रेत है ;

5 (ण) "रजिस्टर" से धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन रखा गया नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(त) "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे, यथास्थिति, अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन विनिर्दिष्ट करे ;

10 (थ) किसी नियतकालिक पत्रिका के संबंध में "नाम" से प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा यथा सत्यापित ऐसी नियतकालिक पत्रिका का नाम अभिप्रेत है, जो कि प्रमुख और सुपाठ्य रूप से मुख्य शीर्ष के रूप में उस नियतकालिक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित किया जाएगा, जिसके द्वारा वह जानी या पहचानी जाएगी ।

## अध्याय 2

### मुद्रण प्रेस और नियतकालिक पत्रिका

15 3. किसी आवधिक पत्रिका का प्रत्येक मुद्रक प्रेस महारजिस्ट्रार को आनलाइन पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी मुद्रण प्रेस है, ऐसी विशिष्टियों को देते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना प्रस्तुत करेगा ।

मुद्रक द्वारा सूचना प्रस्तुत करना ।

20 4. (1) भारत का प्रत्येक नागरिक या कोई व्यक्ति, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में कोई निगमित तथा रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व है, कोई नियतकालिक पत्रिका निकाल सकेगा :

नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन ।

परंतु कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए -

25 (क) आतंकवादी कार्य या विधिविरुद्ध कार्यकलाप ; या

(ख) राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध की गई किसी बात के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है,

कोई नियतकालिक पत्रिका नहीं निकालेगा ।

30 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आतंकवादी कार्य" और "विधिविरुद्ध कार्यकलाप" का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) और खंड (ण) में है

(2) भारत में मुद्रित प्रत्येक नियतकालिक पत्रिका पर सुपाठ्य रूप से मुद्रक का नाम, मुद्रण का स्थान, संपादक, प्रकाशक का नाम और प्रकाशन का स्थान मुद्रित होगा ।

35 **स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "संपादक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियतकालिक पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाली सामग्रियों का विनिश्चय करता है ।

(3) किसी विदेशी नियतकालिक पत्रिका के प्रतिकृति संस्करण को भारत में केवल

इस संबंध में विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही मुद्रित किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रतिकृति संस्करण का प्रेस महारजिस्ट्रार के पास ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विदेशी नियतकालिक पत्रिका" से कोई नियतकालिक पत्रिका अभिप्रेत है, जिसका मुद्रण और प्रकाशन भारत से बाहर किसी दूसरे देश में किया जाता है।

### अध्याय 3

#### प्राधिकारी

प्रेस महारजिस्ट्रार  
और अन्य  
अधिकारी।

5. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए भारत के प्रेस महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्रेस महारजिस्ट्रार के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रेस महारजिस्ट्रार को सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे आदेश द्वारा उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों का वितरण या आबंटन करने का उपबंध कर सकेगी।

(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रेस महारजिस्ट्रार निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी नियतकालिक पत्रिका को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत नियतकालिक पत्रिकाओं के रजिस्टर का अनुरक्षण करना ;

(ग) किसी नियतकालिक पत्रिका के नाम की स्वीकार्यता और उपलब्धता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना ;

(घ) उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों के संबंध में यथा लागू फीस का संग्रहण करना ;

(ङ) केंद्रीय सरकार से निधिया प्राप्त करना और इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उनका वितरण करना ;

(च) भारत में नियतकालिक पत्रिकाओं के संबंध में सूचना अतविष्ट करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना ;

(छ) खंड (क) से खंड (च) से आनुषंगिक या संबंधित कोई अन्य कृत्य करना ; और

(ज) कोई अन्य कृत्य, जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सौंपा जाए।

6. प्रेस महारजिस्ट्रार—

(क) किसी नियतकालिक पत्रिका के वार्षिक विवरणों को अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) किसी नियतकालिक पत्रिका के ऐसे वर्ग के परिचालन के आंकड़े का ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किया जाए, सत्यापन करेगा और ऐसे प्रयोजन के लिए, ऐसी नियतकालिक पत्रिका के स्वामी या उसके मुद्रक के कब्जे में किसी नियतकालिक पत्रिका से संबंधित किसी भी सुसंगत अभिलेख

प्रेस महारजिस्ट्रार  
की शक्तियां !

या दस्तावेज तक पहुंच करेगा और वह किसी युक्तियुक्त समय पर किन्हीं परिसरों में निरीक्षण के लिए प्रविष्ट हो सकेगा, जहां ऐसी नियतकालिक पत्रिका का कारबार किया जाता है या वह सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों की प्रतियां ले सकेगा या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना को अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा ;

(ग) किसी नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण का पुनरीक्षण, निलंबन या रद्द कर सकेगा ;

(घ) किसी प्राधिकृत व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्ति की सेवाओं की अध्यक्षता करेगा, जो किसी नियतकालिक पत्रिका के परिचालन के आंकड़ों के सत्यापन को करने के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "प्राधिकृत व्यक्ति" से केन्द्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है, जो प्रेस महारजिस्ट्रार से अधीनस्थ है और जिसे प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा लिखित में ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो ऐसे प्रतिनिधि को उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए सौंपे जाए, प्राधिकृत किया गया है ;

(ङ) किसी मुद्रण प्रेस या नियतकालिक पत्रिका के संबंध में अभिलेखों, दस्तावेजों और ऐसी अन्य सूचना को मंगवाएगा, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो ;

(च) किसी राज्य सरकार या संघ-राज्यक्षेत्र प्रशासन या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से किसी नियतकालिक पत्रिका के संबंध में सूचना की मांग करना ; और

(छ) शास्ति अधिरोपित करेगा ।

#### अध्याय 4

### नियतकालिक पत्रिका का रजिस्ट्रीकरण

7. (1) कोई नियतकालिक पत्रिका, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केवल भारत में मुद्रित और प्रकाशित होगी ।

(2) किसी नियतकालिक पत्रिका का प्रत्येक प्रकाशक ऐसी नियतकालिक पत्रिका के स्वामी के प्राधिकार के साथ प्रेस महारजिस्ट्रार और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी नियतकालिक पत्रिका प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है, ऐसी रीति में, ऑनलाइन आवेदन द्वारा और ऐसे दस्तावेजों तथा विशिष्टियों के साथ, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, प्रेस महारजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन ऐसे नाम को अन्तर्विष्ट करेगा, जिसे प्रकाशक नियतकालिक पत्रिका को समनुदेशित का आशय रखता है और प्रकाशक के उस प्रयोजन के लिए अधिमान-क्रम से नाम के लिए एक या अधिक नाम सुझा सकेगा, जो किसी नियतकालिक पत्रिका के किसी अन्य स्वामी द्वारा या तो उसी भाषा में भारत में कहीं भी या किसी अन्य भाषा में उसी राज्य में पहले से ही वही या समरूप नाम धारित न हो और जो प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप हो !

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रेस महारजिस्ट्रार को आवेदन पर अपनी अनापत्ति या टिप्पणी प्रस्तुत करेगा ।

नियतकालिक  
पत्रिका का  
रजिस्ट्रीकरण ।

परन्तु, जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित होने के लिए प्रस्तावित किसी नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण के लिए किया गया है, तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) यदि प्रेस महारजिस्ट्रार को उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आवेदन की अभिप्राप्ति पर उसकी शुद्धता और पूर्णता के संबंध में तथा उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के पश्चात्, और नामों के ग्राह्यता से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में समाधान हो जाता है, तो वह ऐसे प्रारूप में, जो विहित की जाए, नियतकालिक पत्रिका का उसकी आवधिकता, भाषा, प्रकाशन का स्थान, स्वामी को ब्यौरा और नाम को अंतर्विष्ट करते हुए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परन्तु प्रेस महारजिस्ट्रार सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार कर सकेगा।

(6) नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशक, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करेगा:

परन्तु यदि नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशक उस मास की समाप्ति से, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया गया था, बारह मास के भीतर नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन करने में असफल रहता है, तो प्रेस महारजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा और नाम को वापस ले सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण या नाम के प्रमाणपत्र का पुनरीक्षण।

8. (1) नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशक, प्रेस महारजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विशिष्टियों का पुनरीक्षण करने के लिए या नाम के पुनरीक्षण के लिए ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियों के साथ, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा।

(2) प्रेस महारजिस्ट्रार का, उपधारा (1) के अधीन अनुप्रयुक्त पुनरीक्षण की विशिष्टियों के बारे में समाधान होने पर प्रकाशक को रजिस्ट्रीकरण का पुनरीक्षित प्रमाणपत्र या कोई पुनरीक्षित नाम जारी कर सकेगा और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उसे संसूचित कर सकेगा।

नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व का अंतरण।

9. (1) धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक नियतकालिक पत्रिका का अंतरण इस धारा के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी नियतकालिक पत्रिका का स्वामी ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करके, ऐसी विशिष्टियों को देकर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, अपने स्वामित्व के अंतरण के लिए प्रेस महारजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।

(3) ऐसी नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व के अंतरण के लिए किसी नियतकालिक पत्रिका के स्वामी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर, यदि प्रेस महारजिस्ट्रार का, उसकी शुद्धता और पूर्णता के संबंध में तथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त टिप्पणियाँ यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के पश्चात्, समाधान हो जाता है, तो वह उस नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व के अंतरण की अनुज्ञा देगा।

परन्तु प्रेस महारजिस्ट्रार, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी नियतकालिक पत्रिका के स्वामित्व के ऐसे अंतरण की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा।

(4) नियतकालिक पत्रिका का स्वामी, उपधारा (3) के अधीन प्रेस महारजिस्ट्रार से

अनुज्ञा प्राप्त करने पर प्रकाशक को उसकी एक प्रति भेजेगा और प्रकाशक धारा 7 के उपबंधों के अनुसार आवेदन करेगा और पुनरीक्षित प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा ।

(5) नियतकालिक पत्रिका का स्वामी अपनी कंपनी की शेयरधारिता पैटर्न में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर देगा ।

5

10. (1) किसी नियतकालिक पत्रिका का स्वामी, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नियतकालिक पत्रिका का समापन कर सकेगा और ऐसे समापन के छह मास के भीतर, प्रेस महारजिस्ट्रार और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी नियतकालिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, ऐसे समापन के बारे में संसूचित करेगा ।

10

(2) प्रेस महारजिस्ट्रार, उपधारा (1) के अधीन प्रकाशक से संसूचना की प्राप्ति पर, समापन किए गए नियतकालिक पत्रिका के प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन रखे गए रजिस्टर से उसके नाम के साथ नियतकालिक पत्रिका को हटा देगा ।

15

11. (1) प्रेस महारजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए किन्तु जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक का न हो, किसी नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा, यदि—

नियतकालिक पत्रिका का समापन ।

रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन या रद्दकरण ।

(क) रजिस्ट्रीकरण मिथ्या अभ्यावेदन या किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया गया था ; या

20

(ख) प्रकाशक, नियतकालिक पत्रिका का सतत प्रकाशन करने में असफल रहा है ।

**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई नियतकालिक पत्रिका धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन के अनुसार किसी कलेण्डर वर्ष में प्रकाशित किए जाने के लिए यथापेक्षित है, जिसके आधे से कम अंक प्रकाशित होते हैं, तो ऐसी नियतकालिक पत्रिका के सतत प्रकाशन को निष्फल समझा जाएगा ; या

25

(ग) प्रकाशक ने वार्षिक विवरण में मिथ्या विशिष्टियां दी हैं ; या

(घ) प्रकाशक ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें वार्षिक विवरण दिया गया था, दो वर्षों के भीतर वार्षिक विवरण देने में असफल रहा है ।

30

(2) प्रेस महारजिस्ट्रार, ऐसे किसी नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, जहां प्रकाशक उन आधारों की त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है, जिस पर उक्त प्रमाणपत्र को ऐसे निलम्बन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (1) के अधीन निलंबित किया गया था ।

35

(3) प्रेस महारजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, जो—

(क) किसी नियतकालिक पत्रिका के किसी अन्य स्वामी द्वारा या तो उसी भाषा में भारत में कहीं भी या अन्य भाषा में उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पहले से ही वही या समरूप नाम धारित करता है ; या

(ख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का

उल्लंघन करता है।

(4) प्रेस महारजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी ऐसी नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, जहां ऐसी नियतकालिक पत्रिका का स्वामी या प्रकाशक किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है—

(क) जिसमें आतंकवादी कृत्य या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अंतर्वलित है ; या

(ख) राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कोई कार्य किया गया है।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आतंकवादी कृत्य" और "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" का क्रमशः वही अर्थ है, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) और खंड (ण) में उसका है।

(5) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का कोई आदेश, यथास्थिति, नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशक या स्वामी, को सुनवाई का अवसर दिए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन पारित निलंबन या रद्दकरण के आदेश की एक प्रति यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

(7) यदि उस नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशक, धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप इस प्रकार का कोई आवेदन करता है, तो प्रेस महारजिस्ट्रार, इस धारा के अधीन नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रद्द करने के पश्चात्, अन्य नाम से धारित की जाने वाली ऐसी नियतकालिक पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण का एक नया प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(8) प्रेस महारजिस्ट्रार, ऐसी परिस्थितियों और रीति में, जो विहित की जाए, धारा 7 के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

नियतकालिक पत्रिका द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक विवरण।

12. (1) किसी नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशक, नियतकालिक पत्रिका के संबंध में किसी वार्षिक विवरण को ऐसे समय में, ऐसे रूप में और ऐसी विशिष्टियों को देते हुए, जो विहित की जाए, प्रेस महारजिस्ट्रार को देगा।

(2) भारत में प्रत्येक समाचारपत्र का प्रकाशक, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, अड़तालीस घंटों के भीतर ऐसे समाचारपत्र के प्रत्येक अंक की एक प्रति प्रेस महारजिस्ट्रार और राज्य सरकार को निःशुल्क प्रदान करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

13. प्रेस महारजिस्ट्रार, भारत में नियतकालिक पत्रिकाओं के संबंध में सूचना अन्तर्विष्ट करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा।

#### अध्याय 5

#### शास्तियां

प्रेस महारजिस्ट्रार की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

14. (1) प्रेस महारजिस्ट्रार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, यदि—

(क) कोई नियतकालिक पत्रिका धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना प्रकाशित की जाती है ;

(ख) कोई प्रकाशक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर, जिसके संबंध में वार्षिक विवरण देने की अपेक्षा की गई थी, धारा 12 के अधीन यथाअपेक्षित वार्षिक विवरण देने में असफल रहता है :

परन्तु प्रकाशक को सुनवाई का अवसर दिए बिना, शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई नियतकालिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, तो प्रेस महारजिस्ट्रार, ऐसी नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशन से तुरंत प्रविरत रहने के निर्देश के साथ प्रकाशक को पांच लाख रुपए से अनधिक की रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अधिरोपित होने वाली शास्ति की मात्रा प्रथम व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु वह बीस हजार रुपए से अधिक की भी नहीं होगी :

परन्तु प्रत्येक पश्चातवर्ती व्यतिक्रम के लिए, ऐसी मात्रा की दोगुना वर्धित शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी किन्तु वह दो लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी ।

(4) जो कोई, उपधारा (2) के अधीन निदेश जारी होने के छह मास के पश्चात् भी नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशन से प्रविरत रहने में असफल रहता है या धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी अन्य नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन करता है, वह कारावास से दंडित होगा, जो छह मास तक का हो सकेगा ।

## अध्याय 6

### अपील

15. (1) एक अपीली अपील बोर्ड होगा, जिसे प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड कहा जाएगा, जो भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके सदस्यों में से दो सदस्य से मिलकर बनेगा ।

प्रेस और  
रजिस्ट्रीकरण  
अपील बोर्ड ।

परन्तु दो सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (घ) या खंड (ड) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति होगा ।

(2) धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार करने पर, या धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलम्बन या धारा 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से साठ दिनों के भीतर, जिसको ऐसा आदेश उसे संसूचित किया गया है, प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा :

परन्तु प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकता है यदि उसे समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हो गया था ।

(3) इस धारा के अधीन इस अपील की प्राप्ति पर प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड रिकार्ड को मंगाने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे उसके सामने की गयी अपील को आदेश द्वारा पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन अपील प्रस्तुत करने, रिकार्ड मंगाने और जांच करने के लिए पालन किए जाने वाली रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी भारतीय प्रेस परिषद् के

अध्यक्ष द्वारा अधिकथित की जाए ।

## अध्याय 7

### प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

16. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार प्रेस महारजिस्ट्रार को पालिसी के मामलों पर समय-समय पर लिखित में निदेश दे सकेगी और प्रेस महारजिस्ट्रार ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

5

(2) केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय कि क्या कोई प्रश्न पालिसी का है या नहीं अंतिम होगा ।

प्रेस महारजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे ।

17. प्रेस महारजिस्ट्रार और सभी अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के भीतर लोकसेवक समझे जाएंगे ।

10

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या प्रेस महारजिस्ट्रार या किसी अधिकारी या प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

15

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

19. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकेंगी ।

(2) विशिष्टियां और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

20

(क) धारा 3 के अधीन मुद्रण प्रेस द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना देने की रीति और विशिष्टियां;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन विदेशी नियतकालिक पत्रिका के प्रतिलिपि संस्करण के रजिस्ट्रीकरण की रीति;

(ग) धारा 6 के खंड (ख) के अधीन नियतकालिक और विशिष्टियां जिनके साथ वर्ग के परियालन अंक के सत्यापन की रीति;

25

(घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आनलाइन आवेदन करने, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और उपवर्णित की जाने वाली विशिष्टियों के प्ररूप, फीस और रीति;

(ङ) प्ररूप जिसमें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन जारी किया जाएगा;

30

(च) आवेदन करने की रीति और धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसमें उपवर्णित की जाने वाली विशिष्टियां;

(छ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और उपवर्णित की जाने वाली विशिष्टियों के प्ररूप, फीस और रीति;

35

(ज) धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की

परिस्थितियां और रीति;

(झ) धारा 12 के अधीन वार्षिक विवरण देने के लिए प्ररूप, रीति और विशिष्टियां;

5 (ग) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित है या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित किया जा सके ।

(3) राज्य सरकार, राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या वांछनीय हो, बना सकेगी ।

10 (4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा ।

20. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं, कर सकेगी :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

15 परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के तुरंत पश्चात् संसद के दोनों सदनों के समझ रखा जाएगा ।

20 21. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, या जारी की गयी अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के 25 पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना या जारी किए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियम और अधिसूचना का रखा जाना ।

1867 का 25 30

22. (1) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 निरसित किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

35 (क) की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई जिसमें इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम जारी की गई अधिसूचना, किया गया निरीक्षण, आदेश या की गई घोषणा या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित कोई शास्ति या जुर्माना निरसित किया जाता है वह तक जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

40

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई और प्रमाणित

की गई कोई घोषणा, जिसके अन्तर्गत उसका नाम भी है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई और अधिप्रमाणित की गई समझी जाएंगी।

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी न्यायालय में लंबित कोई कार्यवाही उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रहेगी जैसे कि यह अधिनियम पारित न किया गया हो।

(घ) निरसित अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रेस महारजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उस रूप में धारण करने वाले अधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अपने-अपने पदों को तब तक धारण करते रहेंगे जब तक पद से हटा नहीं दिया जाता है या अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं ;

(ङ) निरसित अधिनियम के अधीन सत्यापित प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक इस अधिनियम को अधिनियम के अधीन प्रेस रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है।

(च) प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड जिसका निरसन किया गया है को की गई कोई अपील और जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व निपटान नहीं किया गया, इस अधिनियम के अधीन गठित प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा उनका निपटान किया जा सकेगा।

(छ) निरसित अधिनियम के अधीन संदेय कोई शास्ति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रीति में किन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति की वसूली के लिए पहले से ही की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वसूल की जाएंगी।

(ज) निरसित अधिनियम के अधीन जारी या अनुदत्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् उन्ही शर्तों के अधीन प्रभावी बना रहेगा मानो यह अधिनियम पारित ही न किया गया हो।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) से (ज) तक के निर्दिष्ट मामलों में ऐसे निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।